न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 36 / 2022

1 सूरतसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी तिगियास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शिवराज सिंह पुत्र हंसराम।
2 अनार सिंह पुत्र हंसराम।
3 सज्जन सिंह पुत्र हंसराम।
4 किस्तुरी देवी पत्नी हंसराम समस्त जाति जाट निवासीगण तिगियास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 सरोज पुत्री हंसराम स्त्री हरलाल सिंह।
6 सिलोचना पुत्री हंसराम स्त्री हुसीयार सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण तिगियास हाल निवासीगण बारी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मण्ड्रेला जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्ड्रेला जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 11.03.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी शिवराज सिंह बनाम सूरतसिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 45/2020 दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 45/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 22 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 278 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 458/341 रकबा 0.10 हैक्टर,खसरा नम्बर 470/160 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 472/229 रकबा 3.59 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम तिगियास तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष उक्त जमीन के बाबत एक वाद पत्र बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र को अदालत मातहत ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 3 सज्जन सिंह को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बिना सुने एक पक्षीय दिनांक 11.03.2022 को प्राथमिक रूप से निर्णित कर दिया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पैतृक है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा दिनांक 16.07.2020 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 26.02.2021 को जवाबदावे हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 19.03.2021 को जवाब बन्द कर दिया गया। विचारण न्यायालय में दिनांक 09.04.2021 को धारा 151 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.03.2022 को धारा 151 का आवेदन खारिज कर दिया गया। विधि अनुसार कोविड–19 की महामारी में विपरित आदेश पारित नहीं किये जा सकते थे। किन्तु विचारण न्यायालय ने जवाबदेही साक्ष्य सबुत का अवसर दिये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। रिकार्ड व भौतिक कब्जे के अनुसार विभाजन पर आपत्ति नहीं है किन्तु विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा मानकर प्राथमिक डिक्री किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आदेश 8 नियम 1 के अनुसार तामील के पश्चात 120 दिवस में जवाबदावा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम अवसर देने के उपरांत भी अपीलांट द्वारा 9 माह तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 151 की बहस हेतु भी अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने भौतिक कब्जे व रिकार्ड के अनुसार विधिवत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे अपीलांट को कोई क्षति नहीं होती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे राज. 2017(3) पेज 1317 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को उपस्थिति के पश्चात जवाब जवाबदेही हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अंतिम अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाबदेही बंद की गई है। धारा 151 के आवेदन पर भी अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इसकी बहस हेतु भी उपस्थित नहीं होने पर धारा 151 का आवेदन खारिज किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से भौतिक कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर विभाजन की विधिवत प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति का अवसर शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा मानकर प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर